न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 22/2020

1. सोहनकंवर पुत्री धारसिंह पौत्री विजयसिंह
2. भूलकंवर पुत्री धारसिंह पौत्री विजयसिंह
3. सुगनकंवर उर्फ सेलकंवर पुत्री धारसिंह पौत्री विजयसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी पिचोलिया तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पुत्र धारसिंह जाति राजपूत निवासी पिचोलिया तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

...... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एंव 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभि0 वादी
स्वयं उपस्थित — प्रतिवादी संख्या 1
श्री किशनाराम चौधरी — सरकार पेरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 22.06.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एंव 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पिचोलिया व ग्राम गढीगुजरान पटवार हल्का पिचोलिया के चौसाला जमाबंदी खसरा संख्या 719, 703, 570, 1085, 1087, 1088 के मिलान अनुसार वर्तमान जमाबदीं सवंत 2071 से 74 के अुनसार खाता संख्या नया 500 पुराना 465 खसरा संख्या 1579/2971, 1580/2969, 1581, 1582/2970, 1628, 1679, 1679/3218, 3408/1629, 683 कुल किता 9 रकबा 4.82है. तथा ग्राम गढीगुजरान खाता संख्या नया 125 पुराना 116 खसरा संख्या 538 रकबा 0.02 है. गै.मु. चाह खसरा संख्या 539 रकबा 0.74 है. है कि आराजी पर वादीगण के पूर्वाधिकारी पिता जी धारसिंह पुत्र विजयसिंह बहेसियत खातेदार काबिजकाश्त थे। परन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात जरिये विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी अकिंत है जबकि स्व0 श्री धारसिंह पुत्र विजयसिंह के जाइन्दा पुत्रियां वादीगण भी है। जो कि भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एंव संशोधित अधिनियम 2005 के परिप्रेक्ष्य में एक अधिकार अधिनियम में निहित करता है। अत:

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उक्त गैरकानूनी एंव त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त फरमाया जाकर उनके पैतृक हक , अधिकार के खातेदारी की घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित फरमावें एंव प्रतिवादी संख्या 1 एंव उनके नौकरान ऐजन्टान इत्यादि को जरिये स्थाई निषधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वह वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान एंव दखलन्दाजी नहीं करें।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि श्री धारसिंह की पुत्रियों का नाम राजस्व रिकार्ड में जोडा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 सरकार पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादीगण अपना वाद साबित करते है तो वह अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत कर निवेदन किया वाद पत्र में टकंण त्रुटि से पेरा संख्या 1 में चौसाला खसरा संख्या 719 के स्थान पर 729 का अकंन हो गया जिसे दुरूस्त फरमावे। प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

मैनें उभयपक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सजरा प्रमाण पत्र एंव प्रतिवदी संख्या 1 के की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को निर्देश दिये जाते हैं कि वह ग्राम पिचोलिया तहसील पीसागंन के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबदीं सवंत 2071 से 74 के अुनसार खाता संख्या नया 500 पुराना 465 खसरा संख्या 1579/2971, 1580/2969, 1581, 1582/2970, 1628, 1679, 1679/3218, 3408/1629, 683 कुल किता 9 रकबा 4.82है. तथा ग्राम गढीगुजरान खाता संख्या नया 125 पुराना 116 खसरा संख्या 538 रकबा 0.02 है. गै.मु. चाह खसरा संख्या 539 रकबा 0.74 है. है कि आराजी पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 की 1/4, 1/4 हिस्सा खातेदारी आज्ञप्ति की घोषणा की जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसांगंन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:10 IST
Reason: SelfAttested